

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मांग संख्या 43
मत्स्यपालन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1358.28	2.28	1360.56	2228.37	20.40	2248.77	1692.74	8.26	1701.00	2565.50	19.00	2584.50
वसूलियां	-66.18	...	-66.18
प्राप्तियां
निवल	1292.10	2.28	1294.38	2228.37	20.40	2248.77	1692.74	8.26	1701.00	2565.50	19.00	2584.50
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	19.44	...	19.44	27.53	0.60	28.13	28.12	0.60	28.72	32.98	1.80	34.78
1.02 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.03	...	2.03	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20
जोड़- सचिवालय	21.47	...	21.47	29.73	0.60	30.33	30.32	0.60	30.92	35.18	1.80	36.98
2. मात्स्यिकी संस्थान	138.83	2.28	141.11	149.44	19.80	169.24	117.42	7.66	125.08	125.82	17.20	143.02
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	160.30	2.28	162.58	179.17	20.40	199.57	147.74	8.26	156.00	161.00	19.00	180.00
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
4. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	4.60	...	4.60	5.20	...	5.20	5.20	...	5.20	5.72	...	5.72
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	13.00	...	13.00	19.00	...	19.00	14.80	...	14.80	16.78	...	16.78
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	17.60	...	17.60	24.20	...	24.20	20.00	...	20.00	22.50	...	22.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
नील क्रांति												
6. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	12.00	...	12.00	25.00	...	25.00
7. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1168.38	...	1168.38	2000.00	...	2000.00	1500.00	...	1500.00	2352.00	...	2352.00
जोड़-नील क्रांति	1180.38	...	1180.38	2025.00	...	2025.00	1500.00	...	1500.00	2352.00	...	2352.00
8. वास्तविक वसूलियां	-66.18	...	-66.18
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1114.20	...	1114.20	2025.00	...	2025.00	1500.00	...	1500.00	2352.00	...	2352.00
कुल जोड़	1292.10	2.28	1294.38	2228.37	20.40	2248.77	1692.74	8.26	1701.00	2565.50	19.00	2584.50
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. मत्स्य पालन	361.17	...	361.17	562.61	...	562.61	446.08	...	446.08	606.39	...	606.39
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	21.47	...	21.47	29.73	...	29.73	30.32	...	30.32	35.18	...	35.18
3. मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.28	2.28	...	19.80	19.80	...	7.66	7.66	...	17.20	17.20
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	1.80	1.80
जोड़-आर्थिक सेवाएं	382.64	2.28	384.92	592.34	20.40	612.74	476.40	8.26	484.66	641.57	19.00	660.57
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	200.70	...	200.70	150.53	...	150.53	235.98	...	235.98
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	873.62	...	873.62	1359.23	...	1359.23	1019.42	...	1019.42	1598.46	...	1598.46
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	35.84	...	35.84	76.10	...	76.10	46.39	...	46.39	89.49	...	89.49
जोड़-अन्य	909.46	...	909.46	1636.03	...	1636.03	1216.34	...	1216.34	1923.93	...	1923.93
कुल जोड़	1292.10	2.28	1294.38	2228.37	20.40	2248.77	1692.74	8.26	1701.00	2565.50	19.00	2584.50

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है।

2. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थान के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

3. यह प्रावधान देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के लिए रखा जाता है।

4. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

5. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है।

7. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** भारत में मछुआरों के कल्याण सहित भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना। पीएमएमएसवाई को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।